

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इतिरायतस जज</p>	<p>नम्बर अहवाल हुकम को में जज</p>
<p>25-2-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पी.पी.सी. अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः कार्य पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27-3-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>27-3-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पी.पी.सी. अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः कार्य पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-5-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>8-5-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पी.पी.सी. अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः कार्य पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>29-5-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पी.पी.सी. अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः कार्य पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>14-8-20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी पक्ष के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका विपीट प्राप्त हुई जिसे शा.प. की गई अप्रार्थी पक्ष को खिती मर्तबा आवाजे दिलोयी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इसके बिकर एक तरफा कार्यवाही किये जाने के क्षेपरा दिये जाते हैं। प्रार्थी की प्रबन्धन धारा की संयुक्त शक्ति में स्वतंत्रता से है प्रार्थना पत्र केवल सह खातेदार द्वारा ही दिया गया है अनिश्चित संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच नाम पर सभी सह खातेदार का हिस्सा होता है अतः प्रार्थी के एक हिस्से की अराजी स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।</p> <p>पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर रखा है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	